



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2010/पौष 17, 1931

No. 9]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2010/PAUSA 17, 1931

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2009

फा. सं. : सम्मेलन-5(11)/2004/केएन/78265.—
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अनुच्छेद 5 के साथ पठित अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (1) के अनुसार जिसे बाद में 'योजना' के रूप में संदर्भित किया गया है, अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) द्वारा कर्नाटक राज्य की क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) का पुनर्गठन किया गया था तथा इसे भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4 में जारी संख्या 98 (अधिसूचना संख्या सम्म. 5(11)2004/के.एन./4813 दिनांक 27-05-2009) द्वारा दिनांक 6-6-2009 को अधिसूचित किया गया था। अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) एतद्द्वारा कर्नाटक राज्य की वर्तमान क्षेत्रीय समिति (क.भ.नि.) में कर्मचारियों के प्रतिनिधि के रूप में श्री एम. के. सुदर्शन, महासचिव, इंटक, संख्या 3 "श्रीनिवासा", 4 मेन रोड, श्री कान्तेश्वर नगर, महालक्ष्मी लेआउट के पास, बंगलौर 96 के स्थान पर श्री एच. रामाचन्द्रा, महासचिव, इंटक, संख्या 26/1, सैकेंड मेन, 11वां क्रॉस, व्यालीकवल, बंगलौर-560003 को नियुक्ति करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति के परिणामस्वरूप उपर्युक्त अधिसूचना में, सदस्य (कर्मचारियों के प्रतिनिधि) की श्रेणी के अन्तर्गत [योजना के अनुच्छेद 4(1)(घ) के अंतर्गत] क्रम संख्या 6 पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, यथा :-

श्री एच. रामाचन्द्रा,
महासचिव, इंटक,
संख्या 26/1, सैकेंड मेन, 11वां क्रॉस,
व्यालीकवल, बंगलौर-560003

3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

के. चन्द्रमौलि, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
[विज्ञापन III/4/असा. 105/09]

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION
NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2009

F. No. Conf. 5(11)/2004/KN/78265.—In accordance with the provisions of Sub-paragraph (1) of paragraph 4 read with paragraph 5 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, hereinafter referred to as "Scheme", the Regional Committee, (EPF) for the State of Karnataka was reconstituted by the Chairman, Central Board of Trustees, (Employees' Provident Fund) and notified on 6-6-2009 in the Gazette of India (Extraordinary), Part III, Section 4 under Issue No. 98 (Vide Notification No. Conf. 5(11)/2004/KN/4813 dated 27-5-2009). In the existing Regional Committee, (EPF) for the State of Karnataka, the Chairman, CBT(EPF) hereby appoints Shri H. Ramachandra, General Secretary, INTUC, No. 26/1, 2nd Main, 11th Cross, Vyalikaval, Bangalore-560003 as member (employees' representative) in place of Shri M.K. Sudershan, General Secretary, INTUC, No. 3 "Srinivasa", 4th Main Road, Srikanteshwara Nagar, Near Mahalakshmi Layout, Bangalore-96.

2. Consequent to the above appointment, in the said notification under the category of Member (Employees' Representative) [Under Para 4 (1)(d)] of the Scheme for entry Sl. No. 6, the following entry shall be substituted namely :-

Shri H. Ramachandra,
General Secretary, INTUC,
No. 26/1/2, 2nd Main, 11th Cross,
Vyalikaval, Bangalore-560003

3. This will come into force with immediate effect.

K. CHANDRAMOULI, Central Provident Fund
Commissioner.
[ADVT III/4/Exty. 105/09]